

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि./2022/2284

भिलाई, दिनांक 22-2-2022

//आदेश//

श्री विनोद कुमार वर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं तथा कार्य पर उपस्थिति दिनांक को अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति आपके द्वारा बार-बार की जाती है।

श्री विनोद कुमार वर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक को पूर्व में दिनांक 10.08.2021 से 01.10.2021 तक 55 दिनों का अर्जित अवकाश, भविष्य के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का चेतावनी दिये जाने के साथ स्वीकृत किया गया था। तदपश्चात् पुनः दिनांक 23.11.2021 से आज दिनांक तक बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण, कारण बताओं सूचना पत्र कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2267 दिनांक 27.01.2022 को जारी किया गया है जिसका जवाब दिनांक 15.02.2022 को दिया गया है, जो संतोषप्रद नहीं है।

भविष्य के लिए अंतिम चेतावनी दी जाती है कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अतः दिनांक 23.11.2021 से उपस्थिति के पूर्व दिनांक तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./2022/2285
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 22-2-2022

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त-1/2 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 4 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
9. श्री विनोद कुमार वर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई